

ज्ञापांक-टी-3/योजना(LWE)-08/2018-...../

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

विशेष सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/पटना, दिनांक-...../2018

विषय:-

श्रम संसाधन विभाग, (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिद्धौर, जमुई के कैम्पस में 45 किलो वॉट का विद्युत ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन एवं थ्री फेज कनेक्शन लगाने हेतु कुल राशि ₹0 6,55,365/- (₹0 छः लाख पचपन हजार तीन सौ पैसठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग, (प्रशिक्षण पक्ष), के अंतर्गत नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिद्धौर, जमुई के कैम्पस में 45 किलो वॉट का विद्युत ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन एवं थ्री फेज कनेक्शन लगाने हेतु विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रभारी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, गिद्धौर, जमुई के पत्रांक-94 दिनांक-12.07.2018 द्वारा कुल राशि 6,55,365/- (₹0 छः लाख पचपन हजार तीन सौ पैसठ) मात्र का प्राप्त हुआ है। विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल राशि 6,55,365/- (₹0 छः लाख पचपन हजार तीन सौ पैसठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 2- इस स्कीम अन्तर्गत राशि की निकासी व्यय शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-0233-कौशल विकास मिशन मांग संख्या-26, विपत्र कोड-26-2230030030233 के विषय शीर्ष-0233.13.01 कार्यालय व्यय स्कीम से राशि 4,91,524/- (₹0 चार लाख एकान्नेबे हजार पाँच सौ चौबीस मात्र) और व्यय शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-03-प्रशिक्षण-003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-0333-कौशल विकास मिशन मांग संख्या-26, विपत्र कोड-26-2230030030333 के विषय शीर्ष-0333.13.01 कार्यालय व्यय स्कीम से शेष राशि 1,63,841/- (₹0 एक लाख तिरसठ हजार आठ सौ एकतालीस मात्र) वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।
- 3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, गिद्धौर, जमुई होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, जमुई से की जायेगी।
- 5- प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक- - 2018

ज्ञापांक- टी-3/योजना(LWE)-08/2018-...../प ट ना,

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (4 प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-


विशेष सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक-26-12-2018

ज्ञापांक- टी-3/योजना(LWE)-08/2018-...../प ट ना,

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, जमुई/जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, जमुई/प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गिद्धौर, जमुई/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव,

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
20/12/18